कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हजारीबाग
संशोधित विज्ञप्ति

कार्यालय पत्रांक–2262 दिनांक–29.12.2016 द्वारा हजारीबाग जिले में दस (10) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (आवासीय) बरही, पदमा, ईचाक चौपारण, बरकट्ठा, विष्णुगढ़, चुरचू, केरेडारी एवं बड़कागाँव में विभागीय पत्रांक–1793 दिनांक–15.09.2016 के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक–12/य.1–26/2011/515 दिनांक–27.10.16 के निदेशानुसार वर्ग IX से XII के छात्राओं के पठन–पाठन हेतु अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियम मानदेय पर जिले के लिए रोस्टर बिन्दु के आधार पर विषयवार स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 07 (सात) में "कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 एवं पत्राकं–4650 दिनांक–02.06. 2016 के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों को हजारीबाग जिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक होगा" **के स्थान पर** "कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04. 2016 एवं पत्राकं–4650 दिनांक–02.06.2016 के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।"

इच्छुक आवेदनकर्ता पासपोर्ट साईज के दो फोटो सहित पूर्ण बायोडाटा विहित प्रपत्र में भरकर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (स्वअभिप्रमाणित) के साथ एक लिफाफा में बंद कर दिनांक–28.01.2017 को 05:00 बजे अपराह्न तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय, संस्कृत उच्च विद्यालय परिसर, हिन्दू +2 उच्च विद्यालय रोड़, हजारीबाग में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन समर्पित किया गया है उन्हें पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है।

ह०/- 20.1.2017
जिला शिक्षा पदाधिकारी
हजारीबाग

ह०/- 20/1/17
उपायुक्त
हजारीबाग।